माननीय वी. के. बाली के समक्ष

मिस रितिका और अन्य,- याचिकाकर्ता।

बनाम

चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा और अन्य-उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 11152 सन् 1993

20 जनवरी, 1994।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-प्रवेश-प्रॉस्पेक्टस का पैरा 27-उन छात्रों को 10 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा जिनके माता-पिता हरियाणा के निवासी हैं और जो कृषि भूमि के मालिक हैं और खेती करते हैं या भूमिहीन किसान हैं- अनुच्छेद 27 को अवैध और भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्णित कि जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, यह याचिकाएं

सफल होती हैं।प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा जारी विवरण पत्रिका का अनुच्छेद 27 जिस हद तक यह हरियाणा के इन निवासियों के बच्चों/पोते-पोतियों (केवल दादा-दादी) को 10 प्रतिशत का वेटेज प्रदान करता है, जो कृषि भूमि या भूमिहीन किसानों के मालिक हैं और खेती करते हैं और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कर्मचारियों के बच्चों को 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करता है, को ख़ारिज किया जाता है। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, वेटेज, आरक्षण को रद्द करने के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को एक निर्देश जारी किया जाता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर उनकी योग्यता के अनुसार विचार किया जाए, जैसे कि ऊपर बताए गए तरीके से कोई आरक्षण/वेटेज नहीं हुआ हो और यदि वे विचाराधीन क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें विवाद के तहत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

(पैरा 7)

एस. के. सूद, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुभाष गोयल, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए।

आदेश

न्यायमूर्ति वी. के. बाली (मौखिक)।

(1) यह आदेश सामान्य चार सिविल रिट याचिका सं. 1993 की 10673, 19993 की 11152, 1993 की 11251, और 1993 का 11282) का निपटारा करेगा क्योंकि उन्मे कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।हालाँकि, तथ्यों को 1993 की सिविल रिट याचिका सं. 11152 (सुश्री रितिका महाजन और अन्य बनाम चौधरी चरण सिंह कृषि हरियाणा विश्वविद्यालय, हिसार और *अन्य*) *से* निकाला गया है।

(1) इन सभी याचिकाओं में प्रार्थना है कि उत्प्रेषण की प्रकृति में एक

रिट जारी की जाए ताकि हरियाणा के इन निवासियों के बच्चों/पोते-पोतियों (केवल पैतृक पक्ष से) जो कृषि भूमि या भूमिहीन किसानों के मालिक हैं और खेती करते हैं, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए प्रॉस्पेक्टस मुद्दों के पैरा 27 में प्रदान किया गया है को दिए जा रहे 10 प्रतिशत के वेटेज को रद्द किया जा सके। रिट याचिकाओं में दूसरा अनुरोध हिसार के सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत के आरक्षण को रद्द करना है।

(1) जहां तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने की प्रार्थना का संबंध है, यह मामला उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले, अध्यक्ष/निदेशक, ***संयुक्त प्रवेश परीक्षा बनाम ओसिरिस दास और अन्य***[1] , में याचिकाकर्ताओं *के पक्ष में*

[1](1) 1993 (4) आर. एस. जे. 261

है।इस न्यायालय का भी यही सुसंगत दृष्टिकोण है।अतः आगे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और सीएच चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया गया है।

(1)प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए जारी प्रॉस्पेक्टस के प्रासंगिक पैराग्राफ 27 में हरियाणा के उन निवासियों के बच्चों/पोते-पोतियों के लिए 10 प्रतिशत वेटेज प्रदान किया गया है जो कृषि भूमि या भूमिहीन किसानों के मालिक हैं और खेती करते हैं, इस प्रकार कहता हैः—

> "27. विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए वेटेज उन लोगों के लिए होगा जो निम्नानुसार न्यूनतम निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं।जो लोग आरक्षण के लिए पात्र हैं, वे उन्हें आरक्षित श्रेणी में रखने के अलावा एक विशेष श्रेणी के लिए वेटेज के लिए भी पात्र

हैं।सभी वेटेज योग्यता परीक्षा के कुल अंकों पर दिया जाएगा और जहां कुछ विषयों की योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, वहां प्रासंगिक विषयों के कुल अंकों पर वेटेज दिया जाएगा।एक से अधिक वेटेज का दावा करने वाले उम्मीदवार को केवल उच्चतम वेटेज की अनुमति होगीः—

(1)हरियाणा के इन निवासियों के बच्चे/पोते (केवल पैतृक पक्ष से) जो कृषि भूमि या भूमिहीन किसानों के मालिक हैं और खेती करते हैं।"

इस अदालत की खण्ड पीठ द्वता 22 फरवरी, 1993 को 1991 की सिविल 'लिखित याचिका संख्या 12406 (मनोज कुमार माथुरिया और अन्य बनाम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य) में दिए गए हाल के फैसले में प्रॉस्पेक्टस के खंड 29 (1) को रद्द कर दिया, जिसमें यह परिकल्पना की

गई थी कि जिन बच्चों ने आठ विद्या सम्बन्धी वर्षों तक गाँव के स्कूल में पढ़ाई की थी और इसके अलावा हरियाणा बोर्ड के गाँव के स्कूल के नियमित छात्रों के रूप में मैट्रिक या मध्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे योग्यता परीक्षा के कुल अंकों के 10 प्रतिशत के वेटेज के हकदार होंगे।मामले से निपटते समय, अदालत ने इस प्रकार का अवलोकन कियाः—

> वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही कमज़ोर मामला है। इसलिए, हम संतुष्ट है कि वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं है और किसी भी तरह से इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।वर्गीकरण अतार्किक और मनमाना है।इस तरह के वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है।

(1)खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से मैं पूरी तरह से और सम्मानजनक रूप से सहमत हूं और आगे व्यक्त करना चाहूंगा कि वर्तमान मामला कहीं अधिक मजबूत आधार पर खड़ा है।तर्कों के दौरान इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता था कि एक व्यक्ति, जो भले ही भूमि पर स्व-खेती कर रहा हो, एक अमीर जमींदार हो सकता है जिसके बच्चे पूरे देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़े हों।यह आम जानकारी की बात है कि देश के इस हिस्से में अमीर जमींदार जो खुद को स्व-कृषक के रूप में दर्ज कर रहे हैं, वे सबसे अच्छे शहरों में रह रहे हैं और अपने बच्चों को देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठित अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिला रहे हैं।भूमिहीन किसानों के संबंध में भी यही सच हो सकता है, जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है, जिसमें एक किरायेदार भी शामिल है, जिसके पास किसी मामले में, उसकी किरायेदारी के तहत काफी भूमि हो सकती है। मनोज कुमार माथुरिया के मामले (ऊपर) में *एक आधिकारिक निर्णय*

द्वारा यह मामला एक बार फिर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है।

(1) श्री अग्रवाल, हालांकि, ***अमर बीर सिंह और अन्य बनाम नाहा ऋषि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य***[2] **,** मामले *में पूर्ण पीठ के फैसले पर निर्भरता बनाते* हैं।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस निर्णय पर मेजर कुमार माथुरिया *के मामले (उपरोक्त) में* खण्ड पीठ द्वारा विचार किया गया था और ***सुनील जैथली बनाम एम. पी. राज्य***[3] , में *उच्चतम न्यायालय* के *विपरीत दृष्टिकोण रखने* वाले बाद के निर्णय को देखते हुए, इसका उचित रूप से पालन नहीं किया गया था कि इसे निहित रूप से खारिज कर दिया गया था।

(2) ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, यह याचिकाएं सफल होती हैं।प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा जारी विवरण पत्रिका का

---

[2]**1980 आईएलआर। (पी एंड एच)493.**

[3]**ए. टी. आर. 1984 एस. सी. 1534**

अनुच्छेद 27 जिस हद तक यह हरियाणा के इन निवासियों के बच्चों/पोते-पोतियों (केवल दादा-दादी) को 10 प्रतिशत का वेटेज प्रदान करता है, जो कृषि भूमि या भूमिहीन किसानों के मालिक हैं और खेती करते हैं और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कर्मचारियों के बच्चों को 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करता है, को ख़ारिज किया जाता है। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, वेटेज, आरक्षण को रद्द करने के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को एक निर्देश जारी किया जाता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर उनकी योग्यता के अनुसार विचार किया जाए, जैसे कि ऊपर बताए गए तरीके से कोई आरक्षण/वेटेज नहीं हुआ हो और यदि वे विचाराधीन क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें विवाद के तहत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। यह अभ्यास विश्वविद्यालय द्वारा आज से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस फैसले का लाभ केवल याचिकाकर्ताओं को दिया जाएगा और जो कोई भी वेटेज/आरक्षण को अपवाद दे सकता है, उसके मामले में निश्चित रूप से देरी होगी।प्रवेश पहले ही हो चुके हैं।एल. अजीत सिंह और *एक* अन्य बनाम भारतीय खाद्य निगम और *229* अन्य (जी. जी.)। मजीठिया।जे.)

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्र पहले ही सात महीने से अधिक की अवधि के लिए अध्ययन कर चुके हैं, सुरक्षित हैं।हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(8) इस निर्णय की प्रतियां इस न्यायालय *के* पाठक के हस्ताक्षर के तहत पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को दस्ती दी जानी चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा